

प्र.सं. 441/25

31-10-25

2025/532

प्रयत्न-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"**  
(राज. मू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम दोडासी खेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 72 में पुस खातेदार का नाम राधा पुत्री उदयलाल माली सा मांडल रज 5 जबकि मेरे आधार 2074 में अन्य मत्रो से राधा देवी उदित है वधरगत में राधा देवी करवाना चहता है अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमान की कृपा करें।

प्रार्थी

राधा देवी

दिनांक-

11/10/25

रिपोर्ट-पटवारी एवं मूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम दोडासी खेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 72 में प्रार्थी का नाम राधा पुत्री उदयलाल माली रज है। जबकि मुताबिक 2303 ग्राम भाण्डल संलग्न दस्तावेजो व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम राधा देवी पुत्री उदयलाल माली है। अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

पटवारी

11/10/25

मूअ.नि. 11/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मांडल एवं मूअ.नि. मांडल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम दोडासी खेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 72 में प्रार्थी का नाम राधा पुत्री उदयलाल के बजाय राधा देवी पुत्री उदयलाल माली किये जाने हेतु समिश्रण की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मण्डल (सीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मांडल ग्राम दोडासी खेड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 खाता संख्या 72 में दर्ज प्रार्थी का नाम राधा पुत्री उदयलाल के स्थान पर राधा देवी पुत्री उदयलाल माली संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डल (सीलवाड़ा)